

## असाधार्ग EXTRAORDINARY

মান 11—ব্যস্ত হ—হল-প্রতম্ভ (f)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रापिकार से शकावित PUBLISHED BY AUTHORITY

र्षं 498] मर्प्र बिल्ली, बुधवार, नवस्वर 14, 1990/कार्तिक 23, 1912 No. 498] NEV DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 1990/KARTIKA 23, 1912

इ.स. भाग भें भिन्न पूष्ठ संस्था वी जाती ही जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पस्तन पक्ष)

प्रधिभूचमा

नई विल्ली, 14 जनवस्बर, 1990

मा.का. ति. 905 (म्र):- केन्द्र भरकार, महापत्तन न्यांत प्रधितियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पिठत धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदेश णिक्तयों का प्रयोग करते हुए, कंडला पत्तन न्यांसी मंडल द्वारा वनाए गए और इस धिधसूचना के माथ संलग्न अनुसूची में केडला पीठ कर्मनारी (शिक्षण मुल्क की प्रतिपूर्ति)संभोधन विनियम 1990 का मनुमंदन करती है।

उत्त जिलियम, इस प्रधिसूचना के सरकारी राजपन्न में प्रकाणन की टारोख को प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. पी. श्रार-12016/27/90-पी.ई. 1]

भ्रशोक जोशी, संयुक्त सचित्र

## अनुसूर्च?

महापत्तन त्यास श्रधिनियम 1963 की धारा 124 के श्रमुसरण में अंडला पोर्ट का न्यारी मंडल उक्त श्रिधिनियम की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों. का प्रयोग करते हुए एतदहारा कंडला पोर्ट कर्मचारी (शिक्षण एक्क की प्रतिपृत्ति) विनियम 1966 किया गया निम्नलिखित संगोधन जिनियम प्रकाणित करता है, अर्थात:-

- 1. ये बिनियम कडला पोर्ट वर्भवारी (शिक्षण ज्ल्क की प्रतिपूर्ति) मणोधन विवियम 1990 घर्हे आयेगे।
- 2. विनिधम 2 (ii) में में "स्थाधीवन" णब्द हटा दिया जाए ।
- 3 जिनियम 4(क) (i) में से "स्थायीजन" शब्द हटा दिया जाए।

सचिव कथला पोर्ट ट्रस्ट

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (Ports Wing) NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 1990

- G.S.R. 905(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 124, read with Sub-Section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees' (Reimbursement of Tuition Fees) Amendment Regulations, 1990 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to the notification.
- 2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12016|27|90-PE.1] ASHOK JOSHI, Jt. Secy.

## SCHEDULE

In pursuance of Section 124 of the Major Port Trust Act, 1968, the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby publishes the following amendment regulations made by it in exercise of the powers conferred by Section 28 of the said Act, to the Kandla Port Employees (Reimbursement of Tuition Fees) Regulations, 1966, namely:

- I. These regulations may be called "The Kandla Port Employees (Reimbursement of Tuition Fees) Amendment Regulation, 1990.
- II. In Regulation 2 (ii) the word "Quasi-permanent" shall be deleted. III. In Regulation 4 (a) (i) the word "Quasi-permanent" be deleted.

Secretary
Kandla Port Trust